



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3530]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 6, 2018/भाद्र 15, 1940

No. 3530]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 6, 2018/BHADRA 15, 1940

**इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय**

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2018

**का. आ. 4344(अ).**— सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21वां) की धारा 79क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा सेना साइबर समूह, सैन्य संचालन महानिदेशालय के अधीन साइबर न्यायविज्ञान प्रयोगशाला, सिग्नल एनक्लेव, राव तुला राम मार्ग, नई दिल्ली, को भारत में निम्नलिखित कार्यक्षेत्र के साथ इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक के तौर पर अधिसूचित करती है, अर्थात् :

कार्यक्षेत्र : (क) कम्प्यूटर (मीडिया) न्यायविज्ञान-फ्लॉपी डिस्क ड्राइव को छोड़कर;

(ख) मोबाइल उपकरण न्यायविज्ञान

उपर्युक्त अधिसूचना के साथ, पहले प्रकाशित राजपत्र अधिसूचना सं। एसओ.2270 (अ) दिनांक 24 जुलाई 2013, असाधारण, भाग II धारा 3 - उपखंड (ii), केन्द्र सरकार द्वारा रद्द किया गया है।

[फा. सं. 2(11)/2017-सीएलईएस]

पंकज कुमार, अपर सचिव

**MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th September, 2018

**S.O. 4344(E).**— In exercise of the powers conferred by section 79A of the Information Technology Act 2000 (21 of 2000), the Central Government hereby notifies Cyber Forensic Laboratory, under Army Cyber Group, Directorate General of Military Operations, Signals Enclave, Rao Tula Ram Marg, New Delhi, as Examiner of Electronic Evidence within India, with the following scope, namely:-

- (a) Computer (Media) Forensics excluding Floppy Disk Drive;
- (b) Mobile Devices Forensics.

With aforesaid notification, earlier published gazette notification No. S.O.2270(E) dated 24th July 2013, Extraordinary, Part II- Section 3 - Sub-section (ii), is rescinded by central Government.

[F. No. . 2(11)/2017-CLES]

PANKAJ KUMAR, Add. Secy.